"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2006—श्रावण 11, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2006 (श्रावण 11, 1928)

क्रमांक-9520/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006), जो दिनांक 2 अगस्त, 2006 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) यह 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होना माना जावेगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 2 में,—

(1) खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ड) "आगत कर" से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय से संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, धारा 8 के अधीन, विक्रय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर कर का संदाय करने का दायी है, कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम."

(2) खण्ड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ब) किसी कालावधि के लिये किसी व्यापारी के संबंध में "कर योग्य कुल राशि" से अभिप्रेत है, किसी व्यापारी की कुल राशि का वह भाग जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् बाकी बचे :—

(एक) धारा 15 या धारा 15-ख के अधीन करमुक्त घोषित किये गये माल का विक्रय मूल्य,

(दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में हो,

(तीन) धारा 8 के अधीन कर के रूप में वसूल की गई राशि अथवा वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है,—

$$\frac{\text{कर की दर x विक्रय मूल्य का योग}}{\text{100 + कर की दर}}$$

परन्तु, उपर्युक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं की जावेगी यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर की रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा वसूल की जाकर विक्रय मूल्य में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो,

स्पष्टीकरण :—जहां किसी व्यापारी की कुल राशि भिन्न-भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां कर की भिन्न-भिन्न दर से संदायी कुल राशि के भाग के संबंध में पृथक से सूत्र लागू किया जावेगा.

(3) खण्ड (भ) में शब्द तथा अंक "भाग-3 तथा 4" के स्थान पर "भाग 3" प्रतिस्थापित किया जाय तथा शब्द तथा अंक "खण्ड (दो) के", का लोप किया जाय.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन.

"अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल पर कर ऐसी दर से जो उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उद्गृहीत किया जायेगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिये दायी व्यापारी की कर योग्य कुल राशि पर उद्गृहीत किया जायेगा."

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन.

(1) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द एवं अंक "अनुसूची-3" के पूर्व शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग 3 और/या" अंत:स्थापित किया जाय.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) एवं उसके पश्चात्वर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(ग) ऐसा माल जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में वर्णित है और अनुसूची-3 में वर्णित नहीं है, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात्, विनिर्मित माल छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है.

और ऐसा कर,

(एक) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची-2 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, और

(दो) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से या अनुसूची-2 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, जो भी कम हो,

उद्गृहीत किया जाएगा."

स्पष्टीकरण :—अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कर की दर वह दर होगी, जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे कर की तारीख को कर उद्गृहीत किया गया होता.

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "जो पके अन्न का निर्माण करता है" के पश्चात् शब्द "और ऐसे माल का राज्य के भीतर विक्रय करता है" अंत:स्थापित किये जाय और जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "खण्ड (एक) के" आया हो का लोप किया जाय. धारा 10 का संशोधन.

धारा 13 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा,—

(क) (i) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिये या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिए क्रय करता है, और

(ii) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्रय करता है, और

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है, जो कि अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग या उपभोग के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची-1 और/या अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात, करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है,

तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह,—

(1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्

क्रय किये गये माल के संबंध में, जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए; या

(2) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है किंतु जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,

और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा धारित स्टाक के संबंध में आगत कर का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा."

(2) उपधारा (2) में शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" के पश्चात् शब्द एवं अंक "के भाग 1, 2 तथा 4" अंत:स्थापित किया जाय.

(3) उपधारा (3) में शब्द एवं अंक "उपधारा (2)" के पश्चात् शब्द एवं अंक "और धारा 73" अंत:स्थापित किया जाय.

(4) उपधारा (6) में वर्तमान खण्ड (चार) को खण्ड (पांच) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय और खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न खण्ड अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(चार) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प लेने वाले व्यवसायियों से क्रय किये गये माल के संबंध में"

(5) उपधारा (7) में शब्द एवं अंक "खण्ड (दो) के" का लोप किया जाय.

7. मूल अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन.

(1) उपधारा (3) में शब्द "के ठीक आगामी वर्ष के दौरान" के स्थान पर शब्द "से एक कलेण्डर वर्ष के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) उपधारा (7) के खण्ड (एक) तथा (दो) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाय.

(3) उपधारा (7) के परन्तुक (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(क) जब धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों को या किसी सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए नवीन कर निर्धारण किया जाना है, तब ऐसा आदेश,—

(एक) धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों के आदेश दिनांक से, और

(दो) किसी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण/पुन:करनिर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ करने के दिनांक से,

एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के भीतर किया जायेगा."

धारा 45 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाय.

धारा 64-क का अंत:स्थापन. 9. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्न धारा अंत:स्थापित की जाय, अर्थात् :—

"64-क अपराधों का शमन—ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, आयुक्त या तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है, एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी राशि का, जो कि आयुक्त अवधारित करें, भुगतान करने पर, उस अपराध के शमन की अनुज्ञा दे सकेगा,

परन्तु जहां अपराध धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन अपराध है, और कर की रकम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया होता, पांच सौ रुपये से अधिक है, वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगने से अधिक न हो. शमन पश्चात् कथित कार्यवाही समाप्त हो जावेगी."

धारा 69 का संशोधन. 10. मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में शब्द "विक्रय कर" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर" प्रतिस्थापित किया जाय.

धारा 71 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (चार) का लोप किया जाय.

धारा 72 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 72 के परन्तुक के खण्ड (चार) में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाय.

धारा 73 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम की धारा 73 में,—

(1) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि धारा 10 के प्रावधानों के अधीन प्रशमन का विकल्प लेने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके द्वारा स्टाक में धारित माल पर आगत कर रिबेट का न तो दावा किया जा सकेगा और न ही उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा."

(2) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्,—

"इस अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय जो इस अधिनियम के अर्थ में करदत्त माल है इस अधिनियम द्वारा निरसित है, उक्त तारीख को अथवा इसके पश्चात्; इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं होगा."

14. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 में, अनुसूची-2 का संशोधन.

(1) भाग 1, 2 तथा 4 में कालम (4) का लोप किया जाय तथा कालम (3) के शीर्षक में शब्द तथा अंक "धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" प्रतिस्थापित किये जायें.

(2) भाग 3 में कॉलम (3) का लोप किया जाय तथा कालम (4) को कालम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय. इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कालम (3) के शीर्षक में शब्द तथा अंक "धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" प्रतिस्थापित किये जायं.

(3) भाग 4 की प्रविष्टि क्रमांक (1) में शब्द एवं अंक "समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-एक से चार के अंतर्गत नहीं आते हैं" के स्थान पर शब्द एवं अंक "समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-1, 2 तथा 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं" प्रतिस्थापित किये जायं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आगत कर के रिबेट से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाने के उद्देश्य से तथा कतिपय प्रावधानों में जो विसंगतियां विद्यमान थी, उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) में संशोधन प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख : 27 जुलाई, 2006

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 के अधीन छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के सुसंगत उद्धरण

* *

धारा 2 (ड) "आगत कर" (इनपुट टैक्स) से अभिप्रेत है अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (1) के अधीन विक्रय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर उक्त खण्ड के अधीन कर का संदाय करने का दायी है तथा कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम ;

(ब) किसी कालावधि के लिए किसी व्यापार के संबंध में "कर योग्य कुल राशि" से अभिप्रेत है, किसी व्यापारी का कुल राशि (टर्न ओवर) का वह भाग जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् बाकी बचे,—

(1) धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल का विक्रय मूल्य ;

(2) ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर देय है;

(एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है;

(दो) वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है :—

$$\frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्य का योग}}{100 + \text{धारा 8 (1) के अंतर्गत कर की दर}}$$

(3) ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है,—

(एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में है;

(दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है;

परन्तु—

(अ) उपर्युक्त सूत्र के आधार पर उपखण्ड (दो) के पैरा (2) के अधीन कोई कटौती उस दिशा में नहीं की जावेगी जबकि कर की वह रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (एक) के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाकर विक्रय मूल्य के योग में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो;

(ब) जहां किसी व्यापारी की विक्रय राशि धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन भिन्न-भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां उपखण्ड (दो) के पैरा (दो) के अधीन वर्णित सूत्र कुल राशि (टर्न ओवर) के ऐसे भाग के संबंध में कर की भिन्न दर के अनुरूप लागू किया जावेगा.

स्पष्टीकरण :— धारा 8 के खण्ड (एक) और खण्ड (दो) के अधीन कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कर योग्य कुल राशि (टर्न ओवर) पृथक रूप से अवधारित की जाएगी.

(भ) अनुसूची-2 के भाग तीन तथा चार में विनिर्दिष्ट किसी माल जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है, के संबंध में "करदत्त माल" से अभिप्रेत है कोई ऐसा माल, जिसका क्रय किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 4 के अर्थ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किया है;

* *

धारा 8 (एक) अनुसूची-2 के भाग-एक, दो तथा चार में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है; और

(दो) उक्त अनुसूची के भाग-तीन में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है,

उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिए दायी व्यापारी की कर योग्य कुल राशि (टैक्सेबल टर्न ओवर) पर उद्गृहीत किया जाएगा.

धारा 9 (1) सिवाय उसके जहां माल धारा 2 के खंड (भ) के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल है, प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो अपने व्यापार के अनुक्रम में कोई ऐसा माल जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से उन परिस्थितियों में जिनमें कि ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा 8 के अधीन कोई कर उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय नहीं है, क्रय करता है वहां वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा यदि,—

(क) माल का उसके क्रय के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाता है, किन्तु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है या धारा 15 या 15-ख के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल के विनिर्माण में उसका उपयोग किया जाता है; जिनका भारत के राज्य के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न प्रकार से व्ययन किया जाता है, या

(ख) ऐसा माल जो अनुसूची-3 के अंतर्गत है, माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया जाता है, या

(ग) ऐसा माल जो अनुसूची-3 के अंतर्गत नहीं आता है, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात्,

(एक) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है;

(दो) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है,

और ऐसा कर—

(क) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची-2 के कालम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर से, और

(ख) खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त अनुसूची-2 के भाग-दो, भाग-3 तथा भाग-चार में विनिर्दिष्ट माल पर 4 प्रतिशत की दर से, और

(ग) खण्ड (ग) और उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दर से, जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे क्रय की तारीख को उद्गृहीत किया गया होता,

उद्गृहीत किया जायेगा.

धारा 10 (2) (अ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात् अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय कर रहा हो और/या अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर रहा हो, और/या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो पके अन्न (कुक्ड फुड) का निर्माण करता है, और जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में साधारणतया पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होती है, ऐसे वर्ष के प्रारंभ होने के एक माह के भीतर विहित प्ररूप में धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में एकमुश्त राशि ऐसी दर से, ऐसी रीति में तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित किए जाएं, चुकाने का विकल्प ले सकेगा.

* *

धारा 13 (1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, —

(क) (i) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :

(ii) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल की जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है, के उपयोग के लिए/विनिर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची-1 अथवा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात, करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह,—

(1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी ऐसे दूसरे व्यापारी से उसे धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किए गए माल के संबंध में, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ; या

(2) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, उसे धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है किंतु जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,

और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा स्टाक के धारित,

(एक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कर की रकम,

(दो) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कर की रकम,

आगत कर का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

(2) (क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उक्त उपधारा के खण्ड (क) और (ख) में कथित परिस्थितियों में अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कोई माल, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कमीशन अभिकर्ता को विक्रय के लिए भेजता है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के प्रयोजन के लिए क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट का दावा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो कमीशन पर विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है.

(ख) किसी आगत कर के रिबेट का दावा किसी ऐसे व्यापारी (मालिक), द्वारा नहीं किया जाएगा या न ही ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाएगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए ऐसा माल भेजता है.

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन उसके या केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित कियां जाएगा और अधिशेष, यदि कोई हो, पश्चात्वर्ती वर्ष में देय किसी कर के मद्दे समायोजन के लिए लिया जाएगा.

परन्तु, यदि आगत कर के रिबेट की राशि दो वर्षों की अवधि के पश्चात् भी समायोजन हेतु शेष रहती है, तो ऐसी रिबेट की राशि प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी.

परन्तु यह कि यदि आगत कर के रिबेट की राशि दो वर्षों की अवधि के पश्चात् भी समायोजन हेतु शेष रहती है, तो ऐसी रिबेट की राशि प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी.

(6) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा,—

(एक) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में, जो विक्रय के लिए ऐसे अन्य व्यापारी से उसके द्वारा क्रय किया गया हो किंतु जो मुफ्त सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है ;

(दो) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो माल के विनिर्माण या खनन के उपयोग या उपभोग के लिए है किंतु ऐसा विनिर्मित या खनित माल मुफ्त सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है ;

(तीन) उस माल के संबंध में जो कि धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प देने वाले व्यापारी द्वारा क्रय किया गया है,

(चार) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जिसके विक्रय बिल, बीजक या कैश मेमों में कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई गई है,

उपधारा (1) के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा या न ही उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

(7) (क) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा करने या रिबेट अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-2 के भाग तीन में वर्णित किसी माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी अन्य व्यापारी से ऐसा माल,—

(एक) धारा 8 के खण्ड दो के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात्, या

(दो) जो विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के पास करदत्त माल के रूप में हो,

ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में/खनन के लिए/खनन में उपयोग का उपभोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है और तदुपरि ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में ऐसी सीमा तक, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तों जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) तथा उपधारा (2) से (5) के उपबंध आगत कर के रिबेट लिए लागू होंगे जिसका खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में दावा किया जा सकेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा.

* *

धारा 21

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के होते हुए भी, आयुक्त उतनी संख्या में ऐसे व्यापारियों का पुनः निर्धारण के लिए चयन करेगा जैसा कि वह उचित समझे, जिनका निर्धारण एक वर्ष के लिए उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उपधारा (1) के अधीन किया गया समझा गया है और ऐसा चयन उक्त वर्ष के ठीक आगामी वर्ष के दौरान किया जाएगा.

(7) (एक) कर निर्धारण उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के संबंध में ऐसी कालावधि

जिसके लिए कर निर्धारण किया जाना है, की समाप्ति से एक कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा ; और

(दो) कर निर्धारण उपधारा (6) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी के संबध में किसी कालावधि के लिए ऐसी कालावधि की समाप्ति से एक कलैंडर वर्ष के भीतर किया जाएगा ;

(तीन) उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन ऐसे व्यापारी के संबंध में उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ होने से दो कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा ;

परंतु,—

(क) जहां धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों को या किसी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई नवीन कर निर्धारण किया जाना है, वहां ऐसा कर निर्धारण यथास्थिति ऐसे निष्कर्ष या निदेश को अंतर्विष्ट करने वाले आदेश की तारीख से या सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से एक कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा ;

(ख) जहां उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश अपास्त कर दिया जाता है और धारा 22 के अधीन नवीन कर निर्धारण करने के लिए मामला पुन: खोला जाता है, वहां ऐसे एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश के अपास्त किए जाने की तारीख से छह कलैंडर मास की कालावधि के भीतर या खण्ड (एक) में अधिकथित कालावधि के भीतर, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती है, किया जाएगा ; और

(ग) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात धारा 22 के अधीन शुरू की गई कार्यवाहियों को या कर निर्धारण या पुन: निर्धारण से भिन्न किन्हीं भी कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संस्थित की जाएं, लागू नहीं होगी.

* *

धारा 45

(1) बोर्ड, आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उक्त उप-धारा के खण्ड (छ:) में निर्दिष्ट अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन सिविल अधिकारिता वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

(एक) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसे हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;

(दो) दस्तावेज या लेखे पेश करने के लिए विवश करना और उनको परिबद्ध करना या निरोध में रखना ;

(तीन) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ; और

(चार) तथ्यों का सबूत शपथ-पत्रों द्वारा अपेक्षित करना या उसे प्रतिगृहित करना ; और

(पांच) ऐसी और शक्तियां, जो कि विहित की जाएं.

(2) बोर्ड या आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860

(1860 की 45) की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के अंतर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी.

* *

धारा 69 (3) (च) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को जहां ऐसी विशिष्टियां विक्रय कर विभाग के किसी पदधारी के आचरण की किसी जांच से सुसंगत है, वहां लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं. 30) के अधीन, आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को या ऐसी जांच करने के लिए अन्यथा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को या संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग को, जब कि वह ऐसी जांच से उद्‌भूत होने वाले किसी विषय के संबंध में अपने कृत्य कर रहा हो, किया गया है ; या

* *

धारा 71 (2) (ज) (एक) वह रीति जिसमें कोई व्यापारी उपधारा (1) तथा (2) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा और वह कालावधि जिसके भीतर व्यापारी धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा, वह प्ररूप तथा रीति जिसमें रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र को प्रदान किए जाने के लिए आवेदन धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन किया जाएगा ;

(दो) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्ररूप तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने की रीति और उक्त धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन ;

(तीन) वह समय जिसके भीतर तथा वह प्राधिकारी जिसे कारबार की तब्दीलियों के संबंध में जानकारी धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन दी जाएगी ;

(चार) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति तथा आवेदन का प्ररूप एवं धारा 17 (2) के अधीन जारी होने वाले अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्ररूप ;

(पांच) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की रीति एवं प्ररूप ;

धारा 72 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को निरसित हो जाएगा ;

परन्तु :—

(चार) (क) निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी या आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकरण को प्रस्तुत कोई आवेदन ; या

(ख) निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई ऐसा आवेदन ; या

(ग) उच्च न्यायालय को निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई निदेश,

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को लंबित है तो निरसित अधिनियम की धारा 70 के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था और उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया था.

धारा 73

(3) (ख) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की पूर्व तारीख को अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट कोई माल जो उक्त तारीख से बारह माह की अवधि के पूर्व क्रय नहीं किया गया हो, स्टाक में धारित किया गया करदत्त माल है, व्यापारी द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किसी कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग किया गया है या पेकिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया गया है या खनन के लिए विस्फोटक के रूप में उपयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा विक्रय के लिए किया गया है, तो वहां अनुसूची-दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट की गई दर से या ऐसी दर से जो इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन करदत्त माल के संबंध में कर वहन किया गया था, इनमें से जो भी निम्न हो, आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में और कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

(4) इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल का उक्त तारीख को या उसके पश्चात् विक्रय, इस अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (दो) के अधीन, कर योग्य नहीं होगा.

* *

अनुसूची-2

भाग-1

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग-2

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग-3

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग-4

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-एक से चार के अंतर्गत नहीं आते हैं.	12.5	—

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.